119

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

## समक्ष : एम0के0सिंह

## सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1242–तीन/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 1–7–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण कमांक 12/2004–05 विविध

राधेश्याम पुत्र बाबूराम
ग्राम हूलापुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड, मध्य पदेश ---अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उमाशॅकर पुत्र लक्ष्मण प्रसाद
2– सीताराम पुत्र भवानीप्रसाद
ग्राम हूलापुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुर)

आ दे श

(आज दिनांक 9 – 9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग,मुरैना दारा प्रकरण कमांक 12/2004–05 विविध में पारित आदेश दिनांक 1–7–2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार अटेर ने प्रकरण कमांक 7/1969–70 अ–78 में पारित आदेश दिनांक 6–1–1977 से सानिलाती भूमि का बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील होने

पर प्रकरण कमांक 96/76-77 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-12-1981 से भूमि सर्वे कमांक 116 का आधा रकबा रिस्पाण्डेन्ट्स को देने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 16/1983-84 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 24-10-85 से निगरानी स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का भूमि सर्वे कमांक 116 के विभाजन का आदेश निरस्त किया गया एंव नायव तहसीलदार अटेर के प्रकरण कमांक 7/1969-70 अ-78 में पारित आदेश दिनांक 6-1-1977 को यथावत् रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 65/85-86 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनॉक 7-1-2000 से निगरानी अदम पैरवी में निरस्त कर दी।

अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7-1-2000 के विरूद्ध अपीलांट ने दिनॉक 24-12-2004 को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 सहपठित 35 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पुर्नस्थापित करने की मांग की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना ने प्रकरण कमांक 12/2004-05 विविध में पारित आदेश दिनांक 1-7-2005 से धारा 35 (3) का आवेदन लगभग 04 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील है।

3/ अपील की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलांट

को काफी प्रयास करने के वाद भी तारीख पेशी नहीं मिली थी पूर्व के अपर आयुक्त ने अपीलांट को तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 7-1-2000 को प्रकरण गिरदावरी में लेकर निगरानी खारिज की गई है जो गलत है , जब अपीलांट को निर्णय दिनांक 16-12-04 की जानकारी हुई , तब अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के साथ रेस्टोरेशन आवेदन दिया, परन्तु रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार न करने में गलती की है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई के लिये अपर आयुक्त को वापिस किया जाय।

5/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 12/2004-05 विविध में पारित आदेश दिनांक 1-7-2005 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त ने इन आधारों पर धारा 35 (3) का आवेदन निरस्त किया है :-

" आवेदक और उसके अभिभाषक प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 19-7-96, 26-7-96, 8-11-96, 19-9-97 एंव 15-5-98 आदि दिनांकों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और न ही उन्होंने उक्त दिनांकों को अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक व उसके अभि0 व्दारा इस निगरानी प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं ली जा रही थी कोई बल नहीं दिया जा रहा था।''

आदेश में आगे अंकित किया है कि,-

" आवेदक को चाहिये था कि जिस प्रकार उसने उक्त प्रकरण के अदम पैरबी में खारिज होने के लगभग 4 वर्ष वाद जानकारी प्राप्त करने में रूचि दिखाई उसी प्रकार वह प्रकरण अदम पैरबी में खारिज होने के पूर्व में प्रकरण किस स्थिति में है इसकी जानकारी प्राप्त करता तो संभवतः उसे प्रकरण की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी होती। प्रकरण खारिज होने की स्थिति पैदा नहीं होती। चूँकि दिनांक 7-1-2000 को अदम पैरबी में हुये खारिज प्रकरण की जानकारी आवेदक को 16-12-04 को प्राप्त हुई, आवेदक ने जानकारी प्राप्त होने का स्त्रोत नहीं बताया । लगभग 4 वर्ष विलम्ब का भी कोई ठोस कारण आवेदक व्दारा अपने

आवेदन पत्र में प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 32/35 भू रा.संहिता 1959 सदभावना पर आधारित मान्य नहीं किया जा सकता, निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान अपर अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 1-7-2005 में स्पष्ट कारण दर्शाते हुए धारा 35 (3) का आवेदन पत्र निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष परिलक्षित नहीं है । अपीलांट के अभिभाषक यह समाधान कराने में असफल रहे हैं कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1-7-2005 में ऐसी कौनसी विसंगति है जिसके आधार पर विचाराधीन अपील को स्वीकार कर अपर आयुक्त के समक्ष 04 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत विविध आवेदन स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 1-7-2005 निरस्त किया जावे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त चम्बल संभाग,मुरैना दारा प्रकरण कमांक 12/2004-05 विविध में पारित आदेश दिनांक 1-7-2005 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर